

भारत में बैंकों द्वारा आधारभूत संरचना वित्तपोषण : भ्रांति तथा वास्तविकता*

के. सी. चक्रवर्ती

श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर; श्री एम भगवंत राव, प्रबंध निदेशक, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद; इस चर्चा में शामिल मेरे साथी, श्री वी.जी. कन्नन, प्रबंध निदेशक, एसबीआइ पूंजी बाजार लिमिटेड; श्री पार्थ भट्टाचार्य, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, कोल इंडिया लिमिटेड; श्री शेषगिरि राव, संयुक्त प्रबंध निदेशक, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड तथा सीएफओ, जेएसडब्ल्यू समूह; सुश्री जरीन दारुवाला, प्रेसीडेंट, आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड; कान्क्लेव में पधारे प्रतिनिधि; देवियो और सज्जनो! आगरा के इस ऐतिहासिक शहर में आप लोगों के बीच उपस्थित होने का मुझे अपार हर्ष है। यहां हम जितने लोग उपस्थित हैं उनके दैनिक जीवन से संबंधित एक ऐसे मुद्दे पर हम विचार-विमर्श करेंगे जिसका नाम है - आधारभूत संरचना। मैं एसबीआइ पूंजी बाजार लिमिटेड (एसबीआइ कैप्स) और खासकर श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य, पूर्व प्रबंधक निदेशक, एसबीआइ कैप्स (अनुपस्थित) का कृतज्ञ हूँ कि इस कान्क्लेव में मुझे आमंत्रित किया गया। आज के अपने वक्तव्य में रिजर्व बैंक के विचार सामने रखते हुए इस चर्चा में शामिल अपने साथियों द्वारा उठाए गए मुद्दों में से कतिपय के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का मेरा इरादा है और इस प्रयास में आधारभूत संरचना वित्तपोषण विषय को घेरे कुछ भ्रांतियों के निराकरण का मैं प्रयास भी करूंगा।

पृष्ठभूमि

2. विगत दशक में सभी क्षेत्रों - सार्वजनिक, निजी तथा विदेशी - द्वारा भारी आधारभूत संरचना निवेश ने विश्व में तीव्र गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक के संघ में भारत को भी धकेल दिया गया है। गत वर्ष या दो वर्ष में तो आधारभूत संरचना क्षेत्र उल्लान के महत्वपूर्ण बिंदु पर आ गया

* 9 अगस्त 2013 को आगरा में एसबीआइ पूंजी बाजार लिमिटेड द्वारा आयोजित वार्षिक आधारभूत संरचना वित्त कान्क्लेव की बैठक में डा. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया मुख्य वक्तव्य। इसमें सहायता प्रदान करने के लिए सुश्री संगीता मिश्र के प्रति कृतज्ञतापूर्वक आभार।

है। विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आधारभूत संरचना में निवेश को बढ़ावा देने की नितांत जरूरत है। इसके साथ ही, उत्पादकता एवं आधारभूत संरचना पर व्यय की गुणवत्ता में सुधार, प्रक्रिया संबंधी अड़चनों को दूर करने तथा प्रशासन में सुधार भी जरूरी है। 12वीं योजना में आधारभूत संरचना की निवेश जरूरतों की अनुमानित राशि 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर प्रस्तुत की गई है और इसके लिए अंतराल की राशि ₹500 बिलियन से ज्यादा की अनुमानित है। आगामी वर्षों में एक ओर जहां भारी धन राशि की आवश्यकता पड़ेगी, वहीं दूसरी ओर, उपलब्ध राजकोषीय सहायता सीमित होने के कारण, ऐसे संसाधनों को जुटा पाना एक विकट चुनौती साबित होगी। 12वीं योजना के दृष्टिकोण पत्र के विषय में यह विचार किया गया है कि आधारभूत संरचना के निवेश की लगभग आधी रकम निजी क्षेत्र की सहायता से पूरी की जा सकेगी। इसके लिए, आधारभूत संरचना निवेश में निजी क्षेत्र के हिस्से का पर्याप्त अंश अर्थात् 11वीं योजना में लगभग 39 प्रतिशत और 12वीं योजना में लगभग 48 प्रतिशत अंश जुटाना होगा। तथापि, आधारभूत संरचना क्षेत्र में निजी क्षेत्र की रुचि इस बात से बुरी तरह प्रभावित हुई है कि कुछ तो नीति-निर्माण के कारण देर हुई और कुछ भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पर्यावरण आदि से संबंधित कार्यान्वयन पहलुओं के कारण देर हुई। इस समय, 50 प्रतिशत से ज्यादा योजनाएं विनियामक अड़चनों की विविधता के कारण कार्यान्वयन के अनेक स्तरों पर रुकी पड़ी हैं और क्षेत्र विशेष के अवरोधों के कारण समय एवं ज्यादा लागत के चलते वे ठहर गई हैं।

समग्र विकास में आधारभूत संरचना की भूमिका

3. आधारभूत संरचना की भूमिका की जांच करने से पहले, आइए हम आधारभूत संरचना का अर्थ जान लें। निवेश ज्ञानकोश में आधारभूत संरचना को इस प्रकार परिभाषित किया गया है - किसी समाज या उद्यम, या सेवाओं के प्रचालन के लिए जरूरी मूलभूत भौतिक एवं संगठनात्मक ढांचा और वे सुविधाएं जो किसी अर्थव्यवस्था के कार्य के लिए जरूरी हों। इस प्रकार, आधारभूत संरचना को उस समर्थनकारी ढांचे के रूप में समझा जा सकता है जिससे माल एवं सेवाओं, बाजारों में तैयार उत्पादों के वितरण, स्कूलों एवं अस्पतालों- जैसी आधारभूत सामाजिक सेवाओं में भी सुविधा सुलभ होती हो। एक अर्थ में, आधारभूत संरचना में गिने जाने वाले ढांचे ये हैं - रोड, पुल, बिजली, जल आपूर्ति, सीवर, इलेक्ट्रिकल ग्रिड, दूरसंचार, पत्तन और अन्य चीजें।

4. वैश्विक संकट की शुरुआत के बाद से हम अनिश्चय की स्थिति में रह रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर एक चौथाई से कम हो रही है और इसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। किंतु निरंतर निराशा, मुद्रास्फीति, राजनीतिक अनिश्चितता आदि के इस परिदृश्य में यदि कोई उत्प्रेरक की बात करे, जो अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकती है, विकास के इंजन को पुनः अपने रास्ते पर ला सकती है और समावेशी वृद्धि सुनिश्चित कर सकती है, तो इसके लिए सबसे सक्षम उपलब्ध बेहतर विकल्प चहुमुंखी आधारभूत संरचना के निर्माण में निवेश करना है। सिंचाई, विद्युतीकरण, सड़कें, पीने का पानी, सफाई, आवास, सामुदायिक आइटी सेवा आदि जैसी बेहतर आधारभूत संचरनात्मक सुविधाओं का ग्रामीण केंद्रों में प्रावधान करना चाहिए ताकि विशाल ग्रामीण जनसमुदाय को मुख्य धारा में लाया जा सके जिससे उन्हें अपने उद्यमशील या कृषि-आधारित गतिविधियों के माध्यम से घरेलू वृद्धि में सकारात्मक योगदान करने में सहायता मिल सके।

5. हाल के वर्षों में, तीव्र आर्थिक वृद्धि के जोरदार शहरीकरण तथा वर्तमान आधारभूत संरचना की गुणवत्ता में उन्नयन ने भी नए आधारभूत संरचना की उपलब्धता को जरूरी बना दिया। नए कस्बों में आधारभूत संरचना का विकास भी एक प्राथमिकता है ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या की बाढ़ को वहां भेजा जा सके। इन सभी विकास कार्यों ने रोजगार के अनेक अवसर खोल दिए हैं और इसीलिए घरेलू वृद्धि में संभावित अभिवृद्धि हुई है।

अवरुद्ध प्रगति

6. तथापि, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि किसी भी क्षेत्र से इस तथ्य के बारे में प्रशंसा की कमी नहीं है - चाहे वह राजनीतिक क्रम पर सर्वोच्च पदासीन व्यक्ति हो, नौकरशाही तंत्र हो, आर्थिक एवं आयोजना विशेषज्ञ दल हो, शैक्षिक जगत हो, वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ हों - इनमें से कुछ इस बैठक में उपस्थित हैं। आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए निवेश वातावरण में सुधार लाने की प्रक्रिया के विषय में नीति संबंधी घोषणाओं एवं उनकी रिइंजीनियरी में कोई कमी नहीं है। फिर भी, जहां तक वास्तविक उपलब्धि की बात है, ऐसा लगता है कि कुछ-न-कुछ प्रगति हुई है। मैं यहां कुछ चौंका देने वाले तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ:

- 576 आर्थिक क्षेत्रों में से केवल 172 के बारे में प्रचालनात्मक औपचारिक अनुमोदन प्राप्त हुए हैं।

- 2008-13 के दौरान 50,621 किलोमीटर के लिए स्वीकृत सड़क परियोजनाओं के लक्ष्य की तुलना में केवल 10,690 किलोमीटर के लिए ही ठेके दिए गए। इनमें से बहुत-सी परियोजनाओं की मंजूरी के बाद भी उन पर काम शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि उन्हें वित्तीय सहायता नहीं मिली, भूमि अधिग्रहण में विलंब हुआ और पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त नहीं हुई।

- योजना में मंजूर की गई 16 अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं में से केवल 4 को ठेके दिए गए। इनमें से भी केवल 1 में प्रचालन का काम प्रारंभ हुआ है और दूसरी पूरी होनेवाली है, और वह भी निर्धारित समय से काफी पीछे चल रही है। जिस परियोजना का प्रचालन कार्य शुरू हो चुका है उसका उत्पादन अपनी क्षमता से काफी नीचे है। कोयले के आयात में स्पष्टता की कमी, वन के विषय में अनुमति में तथा भूमि अधिग्रहण में विलंब से बाधाएं उत्पन्न होती हैं।

- कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज के लिए नई खोज एवं लाइसेंस नीति के अंतर्गत 251 ब्लाक आवंटित किए गए जिनमें से तथाकथित रूप से 110 का पता लगाया गया किंतु केवल 6 ही उनमें से प्रचालन लायक हैं।

7. इस प्रकार की पृष्ठभूमि के बाद, मैं उस मुद्दे पर बात करूंगा जिसे जहां, तक आधारभूत संरचना परियोजनाओं की वित्तीय मंजूरी का प्रश्न है, बहुत ही चुनौती-भरी बताया गया है।

क्या आधारभूत संरचना के विकास के लिए बैंक वित्त प्रदान करना एक बाधक तत्त्व रहा है?

8. क्या देश में आधारभूत संरचना विकास के लिए बैंक ऋण का प्रवाह एक बाधक तत्त्व रहा है? मैं यह मानता हूँ कि यह मुद्दा आज पहली बार चर्चा के लिए नहीं आया है। यह बात नोट करनी संगत है कि बजटीय समर्थन से बाहर, जो कुल आधारभूत संरचना के व्यय का लगभग 45 प्रतिशत है, आधारभूत संरचना के लिए दूसरे सबसे बड़े स्रोत (लगभग 24 प्रतिशत) वाणिज्य बैंक हैं। ऐतिहासिक रूप से, प्रचलित अवधारण के विपरीत, खासकर वाणिज्य, अर्थात् सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वर्धमान भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना जरूरतों का समर्थन किया है। इस बात का उल्लेख करना महत्त्वपूर्ण है कि आधारभूत संरचना क्षेत्र को बैंक का बकाया ऋण जो 1999-2000 में ₹ 72.43 बिलियन था वह 2012-13 में लगातार बढ़ते हुए ₹ 7860.45 बिलियन हो

गया है। वह विगत 13 वर्षों से 43.41 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) है जबकि इसी अवधि में सभी उद्योगों को बैंक वित्त के समग्र सीएजीआर की तुलना में यह 20.38 प्रतिशत था (सारणी 1)। सकल बैंक ऋण में आधारभूत संरचना को वित्त का शेयर 2001 में 1.63 प्रतिशत से बढ़कर 2013 में 13.37 प्रतिशत हो गया। केवल मार्च 2008 एवं 2013 के बीच आधारभूत संरचना को बैंकों का ऋण 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है। इसके अतिरिक्त, एनबीएफसी म्युच्युअल फंडों तथा पूंजी बाजारों, जिनका अधिकांश स्रोत बैंक वित्त है, के माध्यम से भी आधारभूत संरचना को ऋण मिला है। अतः, यह तर्क देना उचित नहीं हो सकता कि आधारभूत संरचना के विकास में बैंकों से वित्त की कमी बाधक है।

9. वास्तव में, देश में आधारभूत संरचना विकास के महत्त्व को मानते हुए रिजर्व बैंक ने आधारभूत संरचना क्षेत्र को ऋण देने में कतिपय छूट / रियायत दी है, जैसे - सकल / समूह उधारकर्ता सीमाओं में वृद्धि, आधारभूत संरचना परियोजनाओं के संबंध में अन्य उधारदाता संस्थाओं के पक्ष में गारंटी जारी करने की अनुमति, पुनर्संरचना दिशा-निर्देशों के अंतर्गत परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभों तथा कतिपय शर्तों के अधीन निधीयन प्रवर्तक की ईक्विटी के लिए वित्त प्रदान करने की अनुमति देना। आधारभूत संरचना क्षेत्र को बैंकों द्वारा ऋण देने को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एसपीवी को वित्त प्रदान करने के लिए बैंकों को अनुमति है। आधारभूत संरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एसपीवी की स्थापना यह सुनिश्चित करने के बाद की गई कि इस प्रकार के कर्जों / निवेश राशियों का उपयोग वे राज्य सरकारों के बजट के वित्तपोषण के लिए नहीं करेंगे। हाल में (18 मार्च 2013) रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र में उन सरकारी प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के बारे में उधारदाताओं को देय कर्ज की अनुमति दी है जो रियायत करार, कतिपय शर्तों के अधीन, की शर्तों के अनुसार परियोजना प्राधिकरण की सीमा तक जमानती कर्ज हैं।

आधारभूत संरचना में अपसामान्य ह्रासित परिसंपत्तियां

10. इस प्रकार, साक्ष्य यह स्पष्ट सुझाव देता है कि कई क्षेत्रों में विनियामक राजनीतिक तथा कानूनी बाधाओं एवं उपयोगकर्ता

* इसके अतिरिक्त, उधारदाता बैंक के यहां गिरवी रखी गई कोई आधारभूत संरचना के एसपीवी में प्रोमोटर्स के शेयर बैंकों के पूंजी बाजार कर्ज से अलग रखने की अनुमति है।

प्रभारों के एकदम अभाव या अपर्याप्तता के कारण परियोजना के अपर्याप्त वाणिज्यिकरण के होते हुए भी देश में बैंकों ने आधारभूत संरचना परियोजनाओं का पर्याप्त वित्तपोषण किया है। वास्तव में, उनके लिए कष्ट के एक बड़े शेयर के बिना ऐसा हुआ ही नहीं होता। इस क्षेत्र में एनपीए तथा पुनर्संरचनावाली परिसंपत्तियां हाल ही में पर्याप्त मात्रा में बढ़ गई हैं। आधारभूत संरचना क्षेत्र को सकल एनपीए एवं पुनर्संरचित मानक अग्रिम राशियां मार्च 20009 के अंत में ₹121.90 बिलियन (4.66 प्रतिशत) से बढ़कर मार्च 2013 के अंत में ₹1,369.70 बिलियन (17.43 प्रतिशत) हो गई। सुझाव देने के लिए इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि इस क्षेत्र में अपसामान्य परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी का एक पर्याप्त हिस्सा बैंकों द्वारा आधारभूत मूल्यांकन मानकों के पालन करने के लिए है।

11. आधारभूत संरचना क्षेत्र में असामान्य परिसंपत्तियों का उच्च प्रतिशत होने के बावजूद, हमें अत्यधिक निराश होने की जरूरत नहीं। हालांकि बैंकिंग क्षेत्र के लिए पोर्टफोलियो में कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन इस सच्चाई से किसी को सुविधा हो सकती है कि कम-से-कम कुछ परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा परियोजना के विकासकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन परिसंपत्तियों के प्रचालनीकरण में जो छोटी-मोटी बाधाएं कष्ट पहुंचा रही हैं उन्हें तुरंत दूर किया जाए ताकि उनका उपयोग उत्पादक कार्यों में किया जाए और उनसे राजस्व मिलना शुरू हो जाए। इस बीच, विगत विफलताओं से उपयुक्त सीख अवश्य लेनी चाहिए और उनके विचार के लिए जो परियोजनाएं ऋण मूल्यांकन के लिए आए उनके बारे में बहुत विवेकबुद्धि से काम लें।

12. संक्षेप में, आधारभूत संरचना की वित्तपोषण जरूरतों को पूरा न करने के लिए बैंकों की किसी प्रकार की आलोचना बैंकयोग्य एवं वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम परियोजनाओं की उपलब्धता के अभाव की पृष्ठभूमि में उन्हें देखना होगा।

आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए अलग परिसंपत्ति वर्गीकरण मानक

13. एक ओर आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए एक अलग परिसंपत्ति वर्गीकरण व्यवस्था के लिए कुछ निवेदन प्राप्त हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस तर्क में मुझे कोई दम नहीं दिखाई देता है। साक्ष्य इस बात का सुझाव देता है कि इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत ज्यादा एनपीए पूरे बैंकिंग उद्योग का मुद्दा न होकर बैंक विशेष का मुद्दा है। बहुत समय से मैं इस बात पर

जोर देता रहा हूँ कि एनपीए का तर्क गैर-निष्पादक प्रशासन है। आधारभूत संरचना के मामले में बैंक प्रबंधन की गैर-निष्पादक सीमा से बाहर के कारण भी ऐसा हो सकता है, अर्थात् नीति निर्माताओं, नौकरशाही आदि के कारण। लेकिन जो बात परेशान करने वाली है वह यह है कि क्यों सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ही यह सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इसका सीधा-सादा उत्तर परियोजना की कमजोर मूल्यांकन तकनीक, उत्तरदायित्व की कमी, संवितरण के बाद पर्यवेक्षण आदि हैं। हमारे आकलन के अनुसार, परियोजना मूल्यांकन तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निर्णय लेना सूचना आधारित होने की अपेक्षा ज्यादा प्रभाववादी रहा है। अन्यथा, कैसे कोई व्यक्ति नकारात्मक निवल मूल्य वाली विद्युत संवितरण कंपनियों को धन देने के लिए कुछ बैंकों की उत्सुकता का बचाव करता!

14. किसी आधारभूत संरचना परियोजना के विशेष रूप से पांच चरण हैं:

- अनुसंधान एवं विकास
- आयोजना
- उत्पादन
- मरम्मत, संवितरण तथा प्रसार
- ढांचे की रखरखाव / निर्मित की गई सुविधाएं

इसलिए, यह आशा करना उचित है कि उपर्युक्त सभी चरणों का विस्तृत विश्लेषण किसी भी आधारभूत संरचना परियोजना प्रस्ताव का करना होगा जिसमें अनुसंधान, आयोजना एवं कार्यान्वयन रणनीति शामिल होगी। आधारभूत संरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय, इस बात पर विचार करना जरूरी है कि किस हद तक ये उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं; अन्यथा, भारत- जैसे देश में आधारभूत संरचना सुविधाओं के विकास/प्रबंधन में समस्याएं अपरिहार्य होंगी जहां आपूर्ति पक्ष की ओर के कारणों से विभिन्न प्रकार की परेशानियां पैदा होती हैं।

पुनर्निर्मित दिशा-निर्देश में अद्यतन संशोधन

15. इस बात पर काफी टिप्पणी की गई है कि क्या आर्थिक चक्र में इस बिंदु पर अग्रिम राशियों के पुनर्गठन पर प्रावधान अपेक्षाओं को सुदृढ़ करना विवेक सम्मत होगा। इसके ब्योरे के बारे में मैं अपने आप कुछ नहीं करूंगा, किंतु मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक ने कभी भी पुनर्संरचना को गलत नहीं कहा है। हम सभी, समाज के लोग, लोगों को यह अवश्य महसूस करना चाहिए कि सभी प्रकार की सावधानियों के होते

हुए विफलता हो सकती है। विफलता को स्वीकार करना हमें अवश्य सीखना चाहिए। रिजर्व बैंक में हम इस बात को मानते हैं कि पुनर्संरचना एक पूर्ण रूपेण वैध कारबार लिखत है, लेकिन इसे थोड़ी सावधानी से अपनाना होगा। जब लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि बड़ी प्रावधान अपेक्षाओं को लोग पसंद करेंगे, तो मैं इस पर केवल यह कहना चाहूंगा कि प्रावधान कोई हानि की बात नहीं है। हम बैंकों से यह अपेक्षा करते हैं कि मानक परिसंपत्तियों के बारे में भी प्रावधान करें, इसलिए पुनर्संरचना निर्मित खातों के संबंध में थोड़ा ज्यादा प्रावधान करने में किसी प्रकार की परेशानी क्यों होनी चाहिए? जब खाता बदलता है तो हमेशा उसका पुरांकन (पुनःलेखन) किया जाता है। मैं जो प्रश्न पूछना चाहता हूँ वह यह है कि क्यों बैंकों को केवल उन अग्रिम राशियों की पुनर्संरचना करनी चाहिए जो अनर्जक होने वाली हैं। इनके स्थान पर, उन्हें उन अग्रिम राशियों की पुनर्संरचना करनी चाहिए जो पहले से ही एनपीए हैं बशर्ते कि वे यह महसूस करें कि अतिरिक्त थोड़ी-सी सहायता एवं संसाधन से चूककर्ता कंपनी पुनः अपने रास्ते पर आ सकती है।

16. पुनर्संरचना के संदर्भ में एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए ऋणों के शुरुआती मूल्य निर्धारण के बारे में है। प्रायः हमने यह पाया है कि बैंक पुनर्संरचना के बाद ऋण पर लगाई गई ब्याज दर उल्लेखनीय रूप से धीरे-धीरे कम करना चाहते हैं। आधारभूत आर्थिक सोच का यह सुझाव है कि मूल्यनिर्धारण को ऋण जोखिम का आईना होना चाहिए। इसलिए, चलिए हम मान लें कि 16 प्रतिशत पर यदि किसी बैंक ने किसी परियोजना को शुरू में जो ऋण दिया था उसे वह पुनर्संरचित करके क्या करना चाहता है और क्या वह काफी कम ब्याज दर के लिए सहमत है जबकि पुनर्संरचना का सच इस बात की ओर संकेत करता है कि खाते में ऋण जोखिम बहुत है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि यदि बैंक ब्याज की घटी दर को भी परियोजना को लाभप्रद मानता है तो ऋण का शुरुआती मूल्य निर्धारण यादृच्छिक था, न कि जोखिम-आधारित।

आधारभूत संरचना को दीर्घावधि बैंक वित्त के लिए परिसंपत्ति-देयता एक बेमेल अवरोध रूप में

17. एक संबंधित मुद्दा जिसका उल्लेख किया गया है, वह है ऐसा परंपरागत अवरोध जिसे आधारभूत संरचना परियोजनाओं — परिसंपत्ति-देयता बेमेल जोखिम — को ऋण देने में बैंकों को झेलना पड़ता है। हम सभी यह मानते हैं कि दीर्घावधि वित्तपोषण की प्रकृति, वाणिज्य बैंकों की सामान्य

ऋण अवधि से अधिकांशतः ज्यादा, परिसंपत्ति-देयता बेमेल को बढ़ावा देने ही वाली है। इसे मानने के बाद, मेरा यह तर्क है कि किसी भी तरह परिसंपत्ति-देयता बेमेल ने अब तक आधारभूत संरचना परियोजनाओं में कोई रुकावट नहीं पहुंचाई है और बैंकों में आधारभूत संरचना पोर्टफोलियो में जो दबाव है वह अन्य तत्त्वों के कारण है। मैं कुछ बातों को सीधे यहां रखना चाहता हूँ। बैंक परिपक्वता एवं जोखिम रूपांतरण के कारबार में हैं। लगभग सभी बैंक अपने अग्रिम पोर्टफोलियो में धन जमा करने के लिए पूरी तरह से फुटकर जमाराशियों पर निर्भर हैं। अलग-अलग व्यक्तियों की फुटकर जमा राशियों की औसत अवधि एक वर्ष से ज्यादा की नहीं हो सकती जबकि बैंकों की बड़ी राशि के अधिकांश अग्रिम 8-10 वर्ष की सीमा में लंबी अवधि के हैं। व्यक्तिगत आधार पर फोर्टफोलियो स्तर पर, फुटकर जमाराशि को जहां अनिश्चित माना जा सकता है वहीं ये जमाराशियां स्थिर हैं जिससे बैंकों की परिपक्वता रूपांतरण कार्रवाई में सुविधा होती है। इसलिए, मैं यह बताना चाहता हूँ कि, जो चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, यदि बैंक 8-10 वर्षों के लिए परियोजनाओं को ऋण देने के लिए फुटकर जमाराशि पर निर्भर कर सकते हैं, तो वे ऐसा 13-15 वर्षों के लिए भी कर सकते हैं।

18. अपनी परिसंपत्ति-देयता गैर-बराबरी और ब्याज दर जोखिमों के प्रबंधन के एक हिस्से के रूप में, बैंक अपनी जमाराशि आधार को कम करने के लिए दीर्घावधि मीयादी दर उत्पादों को विकसित कर सकते हैं और वे अपने ब्याज दर जोखिमों के बचाव के लिए अंतर बैंक ब्याज दर अलदा-बदली बाजार भी विकसित कर सकते हैं। पर्याप्त रूप में रुपया-संसाधनों से संपन्न सरकारी क्षेत्र के बैंक यदि उपयुक्त खजाना कौशल की आदत डाल लें और इस प्रकार के उत्पादक बाजार में शुरू करें तो ये बातें उनके लिए उपयुक्त होंगी। इस बाजार को विकसित करने के लिए हम उन विदेशी बैंकों या कुछ प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों से उम्मीद नहीं कर सकते जिनके पास रुपया संसाधन बहुत कम हैं।

अंतरण वित्तपोषण के मुद्दे

19. आधारभूत संरचना क्षेत्र को बैंकों द्वारा वर्धमान वित्तपोषण अवरोधों को मानते हुए, बैंकों को अंतरण वित्तपोषण व्यवस्था में भाग लेने की अनुमति दी गई है। वित्तपोषण आधारभूत संरचना के लिए ऋण संसाधनों को बढ़ाने के लिए, आधारभूत संरचना ऋण निधि (आइडीएफ) की शुरुआत की गई है ताकि निर्माण कार्य पूरा होने और प्रचालन कार्य स्थिर होने के बाद परियोजनाओं को वित्त प्रदान करना शुरू कर दिया गया

है। वर्तमान परियोजनाओं के बैंक कर्जों का पुनः वित्तपोषण करके, यह आशा की जाती है कि आइडीएफ वर्तमान बैंक कर्ज की अधिकांश राशि अपने यहां रख लेगी और आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए नए उधार देने की समान राशि प्रदान करेगी। तीन आइडीएफ आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड द्वारा एक एनबीएसी तथा आइएल एंड एफएस तथा आइआइएफसीएल द्वारा दो म्युच्युअल फंड 2013 में शुरू किए गए जिनमें से पहले ने पुनर्वित्तपोषण का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है।

20. किंतु एक सामान्य परहेज की बात, जिसे मैंने दूर-दराज के विभिन्न मंचों से सुनी है, यह है कि अंतर वित्तपोषण माडल सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर रहा है। इस कदम के सभी प्रस्तावकों के प्रति उचित सम्मानपूर्वक, अंतर वित्तपोषण माडल के साथ मेरा एक मूलभूत मुद्दा है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, लंबी अवधि में फलीभूत होनेवाली परियोजनाओं के कारण, आधारभूत संरचना परियोजनाओं के वित्तपोषकों के लिए यह जरूरी है कि वे प्रारंभिक अवस्था में ही ऐसी परियोजना के प्रति ज्यादा ध्यान दें। जब तक परियोजना शुरू नहीं हो जाती और उससे स्थिर राजस्व प्राप्त होना शुरू नहीं हो जाता तब तक जोखिम बना रहने के कारण, मैं यह नहीं समझ पाता कि क्यों कोई बैंक एक अन्य सर्वथा नई परियोजना के वित्तपोषण के जोखिम के लिए एक अच्छे ऋण जोखिम में हाथ डालने की इच्छा करेगा।

21. मेरे लिए यह बेहतर होगा कि आइडीएफ / आइआइएफसीएल आदि जैसी संस्थाओं को, जिनकी स्थापना अंतरण वित्तपोषण प्रदान करने के लिए निर्धारण, मूल्यांकन तथा वित्तपोषण आधारभूत संरचना परियोजनाओं में उनकी विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए की गई थी, ऐसी परियोजनाओं में शुरुआती ऋण जोखिम का अनुमान लगा लेना चाहिए और तब उन्हें बैंकों को इसे बेचना चाहिए।

आधारभूत संरचना निधीयन के लिए बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) मानक

22. वर्तमान ईसीबी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, ऋण, पूंजीगत वस्तुओं के आयात, व्यापार ऋण की उपलब्धता आदि में वृद्धि करने से संबंधित आधारभूत संरचना क्षेत्र को कई रियायतें दी गई हैं। रिजर्व बैंक ने हाल ही में आधारभूत संरचना वित्तपोषण को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, विशेषकर सड़क परियोजनाओं तथा बिजली क्षेत्र के लिए, ईसीबी मानकों को शिथिल किया गया है और पीपीपी परियोजनाओं के लिए

ऋणदाताओं को देय कर्ज को जमानती वित्त के रूप में माना गया है। वर्तमान ईसीबी दिशानिर्देशों के अंतर्गत आधारभूत संरचना की परिभाषा को इस समय और विस्तार दिया जा रहा है ताकि भारत सरकार की सुसंगत सूची के अनुरूप इसे किया जाए। इसमें शहरी आधारभूत संरचना की कतिपय मदों को शामिल किया जा रहा है जिससे वर्तमान सूची लंबी हो जाएगी : (क) शहरी सार्वजनिक परिवहन और (ख) जल एवं सफाई जिसमें (i) पानी आपूर्ति की पाइपलाइनें, (ii) ठोस कचरा प्रबंधन, (iii) जल उपचार संयंत्र, (iv) सीवेज परियोजनाएं (सीवेज संग्रहण, उनका उपचार तथा निपटान प्रणाली), और (v) समुद्री तूफान की जल निकास प्रणाली।

23. भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा हाल में उठाए कदमों की प्रशंसा करने के साथ ही, मैं दो कारणों से यहां एक सावधान टिप्पणी भी करना चाहता हूँ। पहली और सर्वाधिक महत्वपूर्ण टिप्पणी यह है कि एक वित्त संव्यवसायी के रूप में, हमें यह अवश्य महसूस करना चाहिए कि प्रभावशाली बाजारों में किसी करेंसी में उधार लेने की लागत, जब विदेशी मुद्राविनिमय दर में अंतर के लिए उसे समायोजित किया जाए, समान होनी चाहिए। इसलिए, यदि किसी व्यक्ति को अंतरपणन का अवसर मिलता है तो वह अत्यल्प समय के लिए ही बचाव लागत के समायोजन के लिए हो सकती है। बाहरी उधार सस्ता नहीं हो सकता। विदेशी बाजारों में उधारी से संभावित फायदा किसी फर्म को उसी स्थिति में हो सकता है जब वह मुद्रा विनिमय दर में हेरफेरी करे और बिना किसी बचाव के विदेशी मुद्रा राशि को अपने पास रखे। इसलिए बाहरी वित्त का आकलन करने से पहले किसी प्रकार के बिन बचाव / आंशिक बचाव वाले कारबार में लागत-लाभ-विश्लेषण का पता लगा लेना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि सामान्य रूप से आधारभूत संरचना तथा विशेष रूप से शहरी आधारभूत संरचना से विदेशी मुद्रा विनिमय अर्जन में कोई समानता नहीं है और इसीलिए जिस समय देश उच्च चालू खाता घाटा के अनुभव से गुजर रहा हो उस समय अत्यधिक सावधान रहना नितांत जरूरी है।

आधारभूत संरचना परियोजनाओं में बैंकों द्वारा ईक्विटी अधिग्रहण

24. पैनल में शामिल मेरे कुछ साथियों ने भी चूककर्ता कंपनियों में ईक्विटी के अधिकांश शेयर लेने के लिए उधारकर्ताओं को अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया है। इस संदर्भ में, इस बात का उल्लेख करना अनिवार्य है कि बैंककारी

विनियमन अधिनियम में अधिकतम ईक्विटी शेयर के बारे में एक सीमा नियत की गई है जिसे कोई बैंक किसी कंपनी में ले सकता है और सही कारण के बिना इसे नहीं दिया जा सकता। बैंकों से आशा की जाती है कि उनका काम बैंकिंग कामकाज करना है, न कि कंपनी चलाना। जमाकर्ता ईक्विटी बाजार में अधिक आय मिलने की लालच का त्याग करके अपनी रकम बैंकों में सुरक्षा की दृष्टि से जमा करते हैं और इसीलिए यह बात तर्कसंगत है कि अप्रत्यक्ष माध्यमों से जमाकर्ताओं का धन ईक्विटी में नहीं जाना चाहिए।

25. अब मैं भारत में आधारभूत संरचना-विकास के कुछ अन्य पहलुओं पर तथा कम महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सफलता के लिए सुविधा प्रदान करने की सरकार द्वारा हाल ही में किए उपायों के बारे में बात करना चाहता हूँ।

सरकारी-प्राइवेट भागीदारी

26. मूल आधारभूत संरचना सेवाओं के प्रावधान में अंतराल को पाटने के लिए भारत में सरकारी-प्राइवेट भागीदारी की सक्रिय रूप से कोशिश की गई है। आधारभूत संरचना में (पीपीआई) प्राइवेट सहभागिता के संबंध में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2006 से पीपीआई गतिविधि का बड़ा हकदार रहा है और उसने 43 नई परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है जिसमें 2011 में 20.7 बिलियन अमरीकी डालर का कुल निवेश किया गया। दिसंबर 2012 तक आधारभूत संरचना क्षेत्र में 900 पीपीपी से ज्यादा परियोजनाएं थीं जिनकी कुल लागत (टीपीसी) ₹5,430.45 बिलियन थी जबकि 31 मार्च 2010 तक 600 से अधिक कुल परियोजना लागत ₹3,330.83 बिलियन ही थी जो कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर थे अर्थात् बोली, निर्माण तथा प्रचालनात्मक।

27. वैश्विक अनुभव इस बात का संकेत देता है कि पीपीपी उस स्थिति में अच्छा काम करती है जब सरकारी क्षेत्र के सार्वजनिक प्रयोजन के साथ प्राइवेट क्षेत्र की कार्यकुशलता एवं जोखिम आकलन और प्राइवेट क्षेत्र के सार्वजनिक प्रयोजन पर निर्भर रहते हैं। विकास वित्त माडल की विशेषता अच्छी आयोजना, पार्टियों की सुदृढ़ प्रतिबद्धता कारगर निगरानी, सरकार द्वारा विनियमन एवं प्रवर्तन होना चाहिए।

28. सरकार ने कतिपय मुख्य-मुख्य बाधाओं को दूर करने की कोशिश की है, जैसे - पारदर्शिता की कमी तथा यह सुनिश्चित करने के लिए इंतजाम की जिम्मेदारी तय करना कि पीपीपी परियोजनाएं प्राप्त की जाती हैं और पारदर्शिता,

प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया, संभाव्यता के सिद्धांतों का पालन करके उन्हें लागू करना, और धन का मूल्य। किंतु, जमीनी स्तर पर इनके कार्यान्वयन के बारे में इन प्रयासों का प्रभाव अभी भी दिखाई पड़ना बाकी है।

29. एक ओर जहां एक ऊर्जावान कंपनी ऋण बाजार की कमी तथा वित्तपोषण की आधारभूत संरचना अपेक्षाओं में बैंकिंग क्षेत्र को बाधाओं का सामना करने के आसपास काफी बहस होती रही, वहीं दूसरी ओर इस आवश्यकता को प्रकाश में लाने की बात भी सोची गई कि कर्ज पर बहुत ज्यादा निर्भरता रही है। आधारभूत संरचना कंपनियों अत्यंत प्रभावशाली हैं और आधारभूत संरचना परियोजना के लिए धन जुटाने में ईक्विटी का प्रवाह बहुत ही कम रहा है। मेरे विचार में 'सरकारी-प्राइवेट भागीदारी', प्रयोग में, केवल सार्वजनिक जोखिम-भर बचा है। परियोजना में ईक्विटी निवेश की कमी का अर्थ यह है कि प्रायोजक विकासकर्ता में 'थोड़ी ईमानदारी' है और जोखिम की सफलता के लिए उत्साह केवल सीमित स्तर का है।

आधारभूत संरचना सेवाओं का मूल्यनिर्धारण

30. इस प्रकार की भागीदारी की सफलता में एक प्रमुख अंतर्निहित तत्त्व मूल्यनिर्धारण पहलू है। राजनीतिक मनोभाव को देखते हुए मूल्य-निर्धारण का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसके साथ-ही-साथ परियोजना की अर्थक्षमता को सुनिश्चित करना भी जरूरी है। सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त सेवाओं से बाजार-आधारित मूल्य-निर्धारण के संक्रमण का प्रबंध करना भी एक कठिन काम है क्योंकि मूल्यों में एकाएक एवं अंधाधुंध वृद्धि नहीं की जा सकती; किंतु इस प्रकार की उगाही लाभकर और वाणिज्यिक फायदों पर आधारित तो होनी ही चाहिए। इसके अतिरिक्त, चूंकि आधारभूत संरचना की परियोजनाएं दीर्घावधि की परियोजनाएं हैं, इसलिए निवेश मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण अंतिम उपभोक्ताओं के लिए मूल्य में वृद्धि के माध्यम से बढ़ोतरी के लिए सेवाओं के मूल्य-निर्धारण संविदा में अंतर्निहित सुविधा का होना महत्वपूर्ण है। मैं एक ऐसी परेशान करनेवाली प्रथा को उल्लेख करना चाहता हूँ जो आधारभूत संरचना सेवाओं के प्रयोग की विशेषता बन गई है। प्रायः यह बात देखी गई है कि वीआइपी और प्रभावशाली लोगों को मुफ्त में इन सुविधाओं का आनंद उठाने की अनुमति दी गई है। इससे न केवल नैतिक संकट पैदा होता है, बल्कि इसके साथ-ही-साथ समस्त मूल्य निर्धारण ढांचे का रहस्योद्घाटन होता है और मिथ्या वर्णन भी। यदि ऐसी स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो जो लोग प्रयोग-प्रभार अदा करने की स्थिति में हैं वे भी ऐसा नहीं करेंगे। इससे अंत में ऐसी स्थिति पैदा होगी जिससे

जनसाधारण बेहतर आधारभूत संरचना सुविधाओं / सेवाओं के उपयोग के लिए पैसा देने से अनिच्छा व्यक्त करेगा। हमें इस चीज को महसूस करना चाहिए कि विश्व स्तर की आधारभूत संरचना का निर्माण और उसकी निरंतर देखभाल का लक्ष्य इस स्थिति में हम नहीं प्राप्त कर सकते, यदि हममें से प्रत्येक व्यक्ति, कम-से-कम जो पैसा दे सकते हैं, ऐसा नहीं करता। सेवाओं के लिए कम पैसा देने की स्थिति केवल उन लोगों तक सीमित की जानी चाहिए जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग है और यह काम भी पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए। यह बहुत उपयुक्त समय है कि समाज के सभी लोग मिलकर इसका विरोध करें और इस प्रकार की सामंती प्रथाओं को समाप्त कर दें।

निष्कर्ष

31. यह बात सबको मामूल है कि अधिकांश आधारभूत संरचना परियोजनाएं वित्तपोषण मुद्दों के कारण नहीं रुकी पड़ी हैं, बल्कि इसमें अन्य प्रशासनिक एवं विनियामक अड़चनें भी हैं। आधारभूत संरचना के लिए आधे से ज्यादा बैंक ऋण बिजली क्षेत्र को जाता है। विगत वर्षों में कतिपय अवमंदन के होते हुए भी, बिजली क्षेत्र को आधारभूत संरचना के लिए समग्र बैंक ऋण की तुलना में दिया जानेवाला ऋण बढ़ता ही चला गया। आज विद्युत परियोजनाएं ऋण की कमी के कारण नहीं ठप पड़ी हैं, बल्कि इसका कारण ईंधन की आपूर्ति में कमी एवं कोयले के मूल्य निर्धारण तथा विद्युत शुल्क के विषय में अनिश्चितता का बने रहना है। इनके बारे में हाल ही में सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। बिजली के बाद, बैंक सबसे ज्यादा ऋण सड़क निर्माण के लिए देते हैं जहां परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण तथा वनों के बारे में अनुमति मिलने में देरी के कारण रुकी पड़ी हैं। आधारभूत संरचना के भीतर बैंक ऋण में अधिकतम गहराई तक जानेवाला क्षेत्र दूरसंचार है, विशेषकर जनवरी 2012 से जब 2जी के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इस प्रकार, आधारभूत संरचना क्षेत्र को ऋण संतुलन क्षेत्र विशेष के मुद्दों / रुकावटों के फलस्वरूप है। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि बैंक सरकारी संस्थाएं हैं और वे जमाकर्ताओं के धन का उपयोग करके अपने कार्य करती हैं। इसलिए यह उम्मीद करना तर्कसंगत बात है कि नई परियोजनाओं को धन देने की प्रतिबद्धता से पहले बैंक परियोजनाओं की व्यावहारिकता तथा अपने धन की सुरक्षा पर भी ध्यान देते हैं।

32. यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि उच्च वृद्धि के मार्ग पर भारत को लौटने के लिए यह जरूरी है कि वह सबसे ज्यादा प्राथमिकता के साथ आधारभूत संरचना की

समस्याओं का निदान करे। आधारभूत संरचना परियोजनाओं को वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम बनाने की आवश्यकता है, निरंतर सुधारों के जरिए बाजार की संवेदना में सुधार लाकर और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार की ओर से कारगर शासन के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। तथापि, कार्रवाई के लिए हम दूसरों की प्रतीक्षा न करें, बल्कि सही लगन से अपनी ताकत लगाकर हम स्वयं योगदान दें। इस क्षेत्र के सभी भागीदारों को अपनी उत्पादकता एवं कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए निष्ठापूर्वक काम करना होगा। जहां तक वित्तपोषण का प्रश्न है, मैं यह करना चाहूंगा कि आधारभूत संरचना के विकास के लिए वित्त की कोई कमी नहीं है, विशेषकर वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम परियोजनाओं के लिए। फिर भी, इसके साथ-ही-साथ यह बात भी महत्त्व की है कि सामान्य तौर पर बैंक तथा विशेषकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचना-आधारित परियोजना मूल्यांकन प्रणाली की ओर शिफ्ट करना चाहिए ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि कीमती धन अनुत्पादक परियोजनाओं में न फंस जाए। उपयुक्त मूल्य निर्धारण व्यवस्था के माध्यम से लागत की वसूली का तंत्र विकसित करके, एक केंद्रीय प्राधिकरण आदि द्वारा परियोजना मंजूरी को सरल बनाकर जैसे कुछ अन्य मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करने की जरूरत है।

33. आधारभूत संरचना के वित्तपोषण का स्वरूप दीर्घावधि प्रकृति का है। वाणिज्यिक बैंकों के सामान्य ऋण कार्यकाल 5-8 वर्ष से यह ज्यादा है और बैंकों द्वारा वृद्धिशील वित्तपोषण के लिए हासोन्मुख स्थिति में पेंशन / बीमा / भविष्य निधियों के लिए मानदंडों में छूट दिए जाने की स्थिति बन सकती है ताकि ऋण वित्तपोषण के कतिपय अंतराल को वे भर सकें। लेकिन यदि आधारभूत संरचना परियोजनाओं की प्रगति के बारे में सामान्य

मनोभाव निराशाजनक स्थिति में बने रहें तो कुछ भी नहीं होगा। जब तक आर्थिक गतिविधि को पुनः जीवन प्रदान नहीं किया जाएगा और छोटी परियोजनाओं की विभिन्न रुकावटों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक इस क्षेत्र के लिए संभावना इसी बात की है कि मनोभाव मंद ही बना रहेगा जिसमें वित्तपोषण चाहे बैंक करें या गैर-बैंक उनकी वित्तपोषण की स्थिति समानरूप से मुश्किल ही बनी रहेगी। इसी संदर्भ में एसबीआइ कैप्स की भूमिका, जो परियोजना विकास करने वालों तथा वित्त के बीच मध्यस्थ की भूमिका अदा करती है, अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। चूंकि आधारभूत संरचना क्षेत्र में देश की अग्रणी परियोजना के सलाहकर के रूप में एसबीआइ कैप्स को परियोजना मूल्यांकन में सर्वोच्च मानकों का पालन करना है और इस प्रकार उसे देश के आधारभूत संरचना क्षेत्र में निवेश के लिए एक सकारात्मक वातावरण के पुनर्निर्माण में सहायता करती है। मुझे आशा है कि सरकार, योजना आयोग, एडीबी एवं आइएफसी, कंपनी क्षेत्र और बैंक- जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषणकों-सहित विभिन्न भागीदारों के सक्रिय सहयोग से कान्क्लेव से उत्पन्न ये विचार एवं सुझाव उन रुकावटों को दूर करने में मील का पत्थर साबित होंगे जिनका सामना यह क्षेत्र कर रहा है। मेरा पक्का विश्वास है कि एक बार यदि ये बाधाएं दूर हो जाएं तो इस क्षेत्र को आच्छादित किए हुए निराशा के बादल छंट जाएंगे और इस क्षेत्र में निवेश का प्रवाह पुनः लौट आएगा।

एक बार पुनः मैं एसबीआइ कैप्स को, यहां पधारे प्रतिनिधियों के साथ अपने विचारों को शेयर करने के लिए यह अवसर दिए जाने हेतु धन्यवाद देता हूँ।

आप सभी का धन्यवाद !

सारणी 1: आधारभूत संरचना क्षेत्र के लिए बैंक ऋण में वृद्धि

(₹ बिलियन)

उद्योग	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
आधारभूत संरचना	72.43	113.49	241.33	313.33	513.14	727	1128.3	1429.9	2053.3	2618	3816.12	5371.08	6164.4	7860.45
<i>जिसमें से</i>														
बिजली	32.89	52.46	166.97	220.53	337.45	429.64	601.34	732.98	950.75	1033.62	1590.12	2328.83	2903.61	4038.22
दूरसंचार	19.92	36.44	39.72	41.09	84.08	129.56	184.55	196.19	382.82	471.06	613.12	996.62	989.05	976.43
सड़क एवं पत्तन	19.62	24.59	34.64	51.71	91.61	167.8	196.95	250.47	344.76	470.6	735.69	925.69	1143.83	1313.12
अन्य आधारभूत संरचना	-	-	-	-	-	-	145.46	250.24	375.01	642.72	877.19	1119.98	1127.91	1532.68
उद्योगों को कुल ऋण	2001.3	2188.39	2295.2	2955.62	3130.65	4231.4	5504.4	6973.4	8583.4	10544	13114.5	16208.5	19659.8	22301.8
उद्योग को कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में आधारभूत संरचना का शेयर	3.62	5.19	10.51	10.60	16.39	17.18	20.50	20.50	23.92	24.83	29.10	33.14	31.36	35.25
कुल ऋण	4434.7	5256.83	6457.4	7392.33	8641.43	11508	15168	19812	24769	29999	34967.2	42992.5	50748.3	58796.7
कुल बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में आधारभूत संरचना का शेयर	1.63	2.16	3.74	4.24	5.94	6.32	7.44	7.22	8.29	8.73	10.91	12.49	12.15	13.37

मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत में)

उद्योग	2000-2004	2004-2008	2008-2013	2000-2013
आधारभूत संरचना	63.15	41.43	30.80	43.41
<i>जिसमें से</i>				
बिजली	78.97	29.56	33.54	44.78
दूरसंचार	43.33	46.07	20.59	34.90
सड़क एवं पत्तन	47.00	39.28	30.66	38.18
अन्य आधारभूत संरचना	-	-	32.52	39.99
योग	11.84	28.68	21.04	20.38

सारणी 2: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा आधारभूत संरचना ऋणों की परिसंपत्ति गुणवत्ता

(₹ बिलियन)

		सभी बैंक				
		मार्च-09	मार्च-10	मार्च-11	मार्च-12	मार्च-13
आधारभूत संरचना	कुल ऋण बकाया (सकल)	2618	3816.12	5371.08	6164.40	7860.45
	कुल एनपीए (सकल)	16.02	22.84	39.10	63.25	114.09
	<i>जिसमें से</i> पुननिर्मित मानक अग्रिम राशियां	105.88	170.23	156.77	690.09	1255.61
बिजली	कुल ऋण बकाया (सकल)	1033.62	1590.12	2328.83	2903.61	4038.22
	कुल एनपीए (सकल)	8.02	2.08	11.10	17.33	23.06
	पुननिर्मित मानक अग्रिम राशियां	38.89	94.39	84.28	368.88	760.27
दूरसंचार	कुल ऋण बकाया (सकल)	471.06	613.12	996.62	989.05	976.43
	कुल एनपीए (सकल)	0.98	0.96	2.01	19.47	31.56
	पुननिर्मित मानक अग्रिम राशियां	7.33	7.06	10.94	113.79	121.14

सारणी 3 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा आधारभूत संरचना ऋणों की परिसंपत्ति गुणवत्ता

(अनुपात प्रतिशत में)

		सभी बैंक				
		मार्च-09	मार्च-10	मार्च-11	मार्च-12	मार्च-13
आधारभूत संरचना जिसमें से	सकल एनपीए अनुपात	0.61	0.60	0.73	1.03	1.45
	(जीएनपीए + शेष मानक अग्रिम)/सकल अग्रिम	4.66	5.06	3.65	12.22	17.43
बिजली	सकल एनपीए अनुपात	0.78	0.13	0.48	0.60	0.57
	(जीएनपीए + शेष मानक अग्रिम)/सकल अग्रिम	4.54	6.07	4.10	13.30	19.40
दूरसंचार	सकल एनपीए अनुपात	0.21	0.16	0.20	1.97	3.23
	(जीएनपीए + शेष मानक अग्रिम)/सकल अग्रिम	1.76	1.31	1.30	13.47	15.64